न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय टोडाभीम

मुकदमा नं0 49/15 पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य R.A.S

मंदिर सीताराम जी विराजमान महेन्द्रवाडा टोडाभीम करौली राज0 सेवायत जरियें।

1. जनक सिंह
2. विक्रम सिंह
3. गोपाल सिंह
4. सुल्तान सिंह

पिता अचल सिंह राजपूत
निवासी महेन्द्रवाडा तह0 टोडाभीम
करौली राज0

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र श्री राजसिंह राजपूत निवासी महेन्द्रवाडा टोडाभीम करौली
2. गोपाल पुत्र श्री सूरजभान जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं0 266–67 प्रताप नगर सॉगानेर जयपुर ।
3. सीताराम पुत्र सूरजभान जाति ब्राह्मण निवासी गुर्जर की थडी मोती नगर जयपुर
4. गुड्डी
5. सीता
6. रतना
7. चेतना
8. कंचन बेबा सूरजभान

पुत्रीया सुरजभान निवासी गोपाल कारपेन्टर
प्लाट नं 266–67 प्रताप नगरजयपुर राज0

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

9. गिर्राज शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद ब्राह्मण निवासी संस्कृत कॉलेंज मेहन्दीपुर बालाजी

10. गोविन्द शर्मा पुत्र श्री बद्रीप्रसाद ब्राह्मण 13 बिस्वा टोडाभीम करौली

11. विजय कुमार
12. अनिल कुमार
} पुत्र ओमप्रकाश } जाति ब्राह्मण निवासी 13 बिस्वा टोडाभीम जिला करौली
13. प्रेम बेबा ओमप्रकाश

14. शोभा बाई पत्नी विजय जाति बाह्मण ग्राम दतुली लालसोट दौसा

15. ममता बाई पत्नी गिर्राज ब्राह्मण लाडली का बास नागल राजावतान दौसा

16. भगवती बाई पत्नी गिर्राज ब्राह्मण लिवाली पोस्ट बावनवास करौली

17. काना उर्फ कान्ता पत्नी मुरारी लाल मधुवन कालोनी आगरा रोड जयपुर

18. (मृतक) बाबूलाल पूत्र रामसहाय ब्रह्मण नो विस्वा टोडाभीम करौली राज0

18/1 प्रेम बेबा बाबूलाल
18/2 संजय पुत्र बाबूलाल
18/3 रेखा
18/4 पिंकी
} पुत्रीया बाबूलाल } जाति ब्राह्मण निवासी 9 बिस्वा टोडाभीम जिला करौली

19. जगदीश प्रसाद पुत्र रामसहाय ब्रह्मण निवासी महादेव विहार जगदम्बा कालोनी आगरा रोड जयपुर राज0

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

20. रामवतार शर्मा पुत्र श्री रामसहाय ब्राह्मण 163 महावीर नगर विजयपुरा आगरा रोड जयपुर ।

21. दिनेश पुत्र रामसहाय ब्रह्मण 13बिस्वा टोडाभीम करौली

22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा टोडाभीम बैंक मैनेजर ।

23. तहसीलदार तहसील टोडाभीम करौली

24 सब रजिस्ट्रार तह0 टोडाभीम करौली राज0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

निर्णय दिनांक :– 30.01.2018

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार हैं कि खसरां नं0 442 रकवा 27 ऐयर , खसरा नं0 441 रकवा 1.01 हैक0 कुल किता 02 कुल रकवा 1.28 हैक्टेयर आराजी ग्रम महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0 में स्थित है। उक्त आराजी के वर्तमान में खातेदार गैरसायलान है परन्तु वर्तमान इन्द्राज जमाबंदी में गैरसायलान के नाम गलत हुआ है। उक्त आराजी को गैरसायलानों के बुजुर्गो ने रेवन्यू कर्मचारियों के साज कर चोरी छुपे अपने नाम करवा लिया । जो गलत है। इस प्रकार उक्त आराजी से गैर सायलानो का नाम हजफ फरमाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित हाल खसरा नं0 पुराने खसरा नं0 5401 रकवा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नं0 465 रकवा 4 बीघा से कायम किये गये है। इस प्रकार पुराने खसरा नं0 सायल एवं गैर सायलान नं0 1 के बाबा विजय सिंह पुत्र भगत सिंह के नाम रहा है। जिसमें 1/2 हिस्से के हिस्सेदार सायलान एवं 1/2 हिस्से के हिस्सेदार गैरसायलान नं0 1 है। उक्त आराजी मॉफी मंदिर की आराजी है। उक्त

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आराजी मंदिर की होने के साथ साथ आराजी मंदिर श्री सीताराम जी विराजमान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली के भोगराग एवं मंदिर की मरम्मत के कार्य के लिये आराजी से प्राप्त कास्त की आमदनी को काम में बेअसायस लया जा रहा है। जो कम आज भी बदस्तूर जारी है। आराजी पर कब्जा पूर्व से मंदिर श्री सीताराम जी विराजमान महेन्द्रवाडा का रहा है और आज भी मंदिर कब्जा कास्त है। जिसकी आमदनी मंदिर श्री सीताराम जी लेते रहे है। भविष्य में भी आमदनी मंदिर सीतारामजी के काम में आती रहेगी। इस प्रकार आराजी की खातेदारी मंदिर श्री सीताराम जी विराजमान महेन्द्रवाडा के नाम कर जरिये संरक्षक सेवायत सायलान को किया जाना आवश्यक है। क्योकि उक्त आराजी की देखरेख जमाने बुजुर्गान से सायलान करतें रहे है जो कम आज भी बदस्तूर है। उक्त आराजी सायलान के बुजुर्गो की होने के कारण एवं मंदिर की व्यवस्था अच्छी तरह से चले इसके कारण सायलान को संरक्षक बनाना आवश्यक है। दिनांक 14.07.2015 को खसरा नं0 422 एवं 441 पर मंदिर द्वारा बाजरे की फसल कास्त की गई थी। जिसको संभालने सायलान गये पीछे से गैरसायलान एकराय होकर आये और जमीन को बेचान की धमकी देले लगें। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये सम्मन तलब किया । इसके बाद जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना पहुचाई एवं शेष गैरसायलानो को समाचार पत्रों के द्वारा सूचित किय गया। परन्तु असके उपरान्त गैरसायलान हाजिर अदालत नही आतें। इस कारण इनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

इस प्रकार विद्वान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि आराजी खसरा नं0 442 रकवा 27 ऐयर ,खसरा नं0 441 रकवा 1.01 हैक0 आराजी ग्रम महेन्द्रवाडा में मंदिर श्री सीताराम जी के कब्जे कास्त की है। जिसकी आय मंदिर के काम जमाने बुजुर्गान से आती रही है। गैर सायलान का इससे कोई लेना देना नही है। एवं इसकी देखरेख सायलान के बुजुर्गो के जमाने से सायल करते आये है। अस कारण उक्त आराजी की खातेदारी मंदिर श्री सीताराम जी महेंन्द्रवाडा के नाम की जाकर सायलान को संरक्षक / सेंवायत नियुक्त किया जावें। एवं जिससे आराजी मंदिर के काम आती रहे। गैरसायलान उसको बेचान न

Scanned by CamScanner

कर सकें। उक्त आराजी सायलान के बुजुर्गो के नाम रही है । जिसको सायलान के बुजुर्गो ने मंदिर की सेवा के लिये दिया गया था। जो आज भी मंदिर के ही उपयोग में आ रही है।

विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया की प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अर्पूतनिय क्षति का सिद्धान्त सायलानो के हक में बखुबी साबित है। अतः आराजी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैर सायलान ता फैसला दावा अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आराजी खसरा नं0 422 रकवा 27 ऐयर , खसरा नं0 441 रकवा 1.01हैक0 आराजी कुल किता 2 कुल रकवा 1.28 हैक0 आराजी मंदिर श्री सीतारामजी विराजमान महेन्द्रवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान के कब्जे कास्त में गैर सायलान किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न करें। आराजी को रहन व्यय बेचान न करें। रिकार्ड मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न की जावें।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner